

परिशिष्ट-एक
“परीक्षा योजना”

- (1) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।

परीक्षा	-	300 अंक
साक्षात्कार	-	30 अंक

कुल	-	330 अंक

- (2) परीक्षा:-

- (i) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा:-

प्रश्न पत्र

प्रश्नों की संख्या 150 3:00 घंटे अंक 300

भाग 1 – छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान - 50 प्रश्न (100 अंक)

भाग 2 – बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान - 100 प्रश्न (200 अंक)

कुल - 150 प्रश्न (300 अंक)

- (ii) प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा।

- (3) परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स, और द में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/ निकटतम सही होगा, अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स या द में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।

टीप :- अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आयोग परंपरागत परीक्षा के स्थान पर कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) आयोजित कर सकेगा।

- (4) प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा: -

$$MO = M \times R - \frac{1}{3} M \times W$$

जहां **MO** = अभ्यर्थी के प्राप्तांक, **M** = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक, **R** = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा **W** = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। उक्त सूत्र का प्रयोग कर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के चार अंकों तक की जाएगी।

- (5) पाठ्यक्रम की जानकारी **परिशिष्ट-दो** में दी गई है।

- (6) लिखित/कौशल/अनुवीक्षण परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे अनर्ह घोषित किया जाएगा।

- (7) **साक्षात्कार:-** साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है।

- (8) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- (9) **साक्षात्कार** के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुना होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।

- (10) **चयन सूची:-** उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

- (11) चयन प्रक्रिया आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार प्रावधानित होगी।

OOOOOO

परिशिष्ट-दो
“पाठ्यक्रम”

भाग.1 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान	Part-1 General Knowledge of Chhattisgarh
1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। 2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केन्द्र। 3. छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनऊला, मुहावरे, हाना एवं लोकोत्तियां। 4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार। 5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। 6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। 7. छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन। 8. छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं।	1. History of Chhattisgarh, & Contribution of Chhattisgarh in Freedom Movement. 2. Geography, Climate, Physical status, Census, Archeological and Tourist Centres of Chhattisgarh. 3. Literature, Music, Dance, Art and Culture, Idioms and Proverbs, Puzzle/riddle (जनऊला), Singing (हाना) of Chhattisgarh. 4. Tribes, Special Traditions, Teej and Festivals of Chhattisgarh. 5. Economy, Forest and Agriculture of Chhattisgarh. 6. Administrative Structure, Local Government and Panchayatiraj of Chhattisgarh. 7. Industry in Chhattisgarh, Energy, Water and Mineral Resource of Chhattisgarh. 8. Current Affairs of Chhattisgarh.
भाग.2 बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान	Part-2 General Knowledge Related to Children
<u>1. बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं कानून :-</u> 1.1 भारत का संविधान 1.2 किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 1.3 किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 1.4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं नियम 2020 1.5 मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 1.6 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 1.7 छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023 1.8 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 1.9 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 1.10 बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 1.11 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1.12 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 1.13 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1.14 स्वपाक औषधियां और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1.15 छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 1.16 दत्तक ग्रहण विनियम 2022 <u>2. बाल कल्याण एवं विकास :-</u> 2.1 मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 2.2 कुपोषण, एनीमिया, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर 2.3 कुपोषण का प्रबंधन - कुपोषण की पहचान, कुपोषित बच्चों की देखभाल 2.4 शरीर के विकास के लिए पोषण तत्वों की आवश्यकता- संतुलित आहार 2.5 बच्चों की सामान्य बीमारियां एवं उपचार 2.6 दिव्यांग बालकों के लिए केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रम 2.7 बालकों की शिक्षा के लिए केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रम <u>3. बाल संरक्षण एवं देखभाल :-</u> 3.1 मिशन वात्सल्य योजना 3.2 पीएम केयर्स योजना 3.3 मुख्यमंत्री बाल उदय योजना	<u>1. Constitutional Provisions and Laws Related to Children:-</u> 1.1 Constitution of India 1.2 Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 as amended 2021 1.3 Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016 as amended 2022 1.4 Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 and Rules 2020 1.5 Mental Healthcare Act, 2017 1.6 Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 1.7 Chhattisgarh Rights of Persons with Disabilities Rules 2023 1.8 Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 1.9 Prohibition of Child Marriage Act, 2006 1.10 Commissions for protection of Child Rights Act, 2005 1.11 Protection of Human Rights Act 1.12 Right to Information Act, 2005 1.13 Legal Services Authorities Act 1.14 Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1.15 Chhattisgarh Commission for Protection of Child Rights Rules, 2009 1.16 Adoption Regulations 2022 <u>2. Child Welfare and Development:-</u> 2.1 Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 2.2 Malnutrition, Anaemia, Infant Mortality Rate, Maternal Mortality Rate. 2.3 Management of Malnutrition - Identification of Malnutrition, Care of Malnourished Children 2.4 Need for Nutritional Elements for Body Development - Balanced Diet 2.5 Common Diseases and Treatment of Children 2.6 Schemes and Programs Run by Central and State Government for Disabled Children 2.7 Schemes and Programs Run by Central and State Government for Education of Children <u>3. Child Protection and Care:-</u> 3.1 Mission Vatsalya Scheme 3.2 PM Cares Scheme 3.3 Mukhyamantri Bal Uday yojana

- 3.4 छ.ग. बाल कोष
 3.5 बाल सक्षम नीति
 3.6 बाल संरक्षण नीति
 3.7 चाईल्ड हेल्पलाईन
 3.8 स्कीम फॉर केयर एवं सपोर्ट टू विक्टिम अंडर सेक्शन 4 एवं 6 आफ पॉक्सो एक्ट
 3.9 बाल अधिकार
 3.10 बाल अधिकार संरक्षण आयोग
 3.11 बाल संरक्षण/देखभाल /विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने पर दिये जाने वाले विभिन्न पुरस्कार
 3.12 बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे - हिंसा, शोषण, बाल विवाह, ट्रैफिकिंग, बाल श्रम
 3.13 बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान
 3.14 संस्थागत देखरेख
 3.15 दत्तक ग्रहण, फास्टर केयर, स्पान्सरशीप एवं आफ्टर केयर कार्यक्रम
 3.16 परिवार एवं समुदाय आधारित कार्यक्रम
 3.17 बाल संरक्षण संबंधी चुनौतियां
 3.18 डायवर्जन एवं रिस्टोरेटीव न्याय के सिद्धांत
 3.19 बाल व मानव व्यापार की प्रभावी रोकथाम

4. बाल मनोविज्ञान :-

- 4.1 विकास के चरण
 4.2 बाल मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं एवं सिद्धांत
 4.3 काउंसलिंग
 4.4 आकलन एवं हस्तक्षेप
 4.5 अनुसंधान विधियां
 4.6 एप्लीकेशन - वयस्क - बालक रिलेशनशिप, शिक्षा एवं सीखना, बाल कल्याण एवं संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य एवं उससे संबंधित हस्तक्षेप
 4.7 थेरेपी- कामिनीव बिहेवियरियल थेरेपी, प्ले थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी

5. बच्चों के सर्वोत्तम हित में आपातकालीन सेवाएं :-

- 5.1 चाईल्ड हेल्पलाईन (1098)
 5.2 महिला हेल्पलाईन (181)
 5.3 पुलिस हेल्पलाईन ERSS-112
 5.4 अन्य आपातकालीन सेवाएं

- 3.4 CG Bal Kosh
 3.5 Bal Saksham Policy
 3.6 Child Protection Policy
 3.7 Child Helpline
 3.8 Scheme for Care and Support to Victim under Section 4 and 6 of POCSO Act
 3.9 Child Rights
 3.10 Commission for Protection of Child Rights
 3.11 Various awards given for doing remarkable work in the field of child protection/care/development
 3.12 Important issues related to child protection- violence, exploitation, child marriage, trafficking, child labour
 3.13 Child Marriage Free Chhattisgarh Campaign
 3.14 Institutional care
 3.15 Adoption, foster care, sponsorship and after care programmes
 3.16 Family and community based programmes
 3.17 Challenges related to child protection
 3.18 Principles of diversion and restorative justice
 3.19 Effective prevention of child and human trafficking

4. Child Psychology:-

- 4.1 Stages of development
 4.2 Various concepts and theories related to child psychology
 4.3 Counselling
 4.4 Assessment and intervention
 4.5 Research methods
 4.6 Applications- adult-child relationship, education and learning, child welfare and protection, mental health and related interventions
 4.7 Therapy- cognitive behavioural therapy, play therapy, group therapy, family Therapy

5. Emergency services in the best interest of children:-

- 5.1 Child Helpline (1098)
 5.2 Women Helpline (181)
 5.3 Police Helpline ERSS-112
 5.4 Other Emergency Services